राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक :– प.19 (6) सा.प्र. / ग्रुप–4 / 13 जयपुर, दिनांक 24-9-13

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– छठीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन / परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित छठीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन / परिवर्द्धन हेतु राशि रू. 2.08 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख आठ हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क.सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों मे)	कुल राशि (लाखों में)
1	एच–504 गांधीनगर	1.ए.सी.शीट 2.फ्लश डोर 3.स्टील विन्डो	0.23 0.10 0.04	0.37
2	एच–510 गांधीनगर	1.ए.सी. शीट 2.टाईलेट रिनोवेशन 3.जाली डोर	0.23 0.15 0.09	0.47
3	एच–531 गांधीनगर	1.मैट टाईल्स 2.ए.सी.शीट	0.23 0.23	0.46
4	एच–555 गांधीनगर	1.ए.सी. शीट	0.32	0.32
5	एच–581 गांधीनगर	1.ए.सी.शीट 2.डोर 3.किचन रिनोवेशन	0.21 0.10 0.15	0.46
		कुल योग रुपये	—	2.08

यह व्यय बजट मद 2216–आवास (हाउसिंग) 05–साधारण पूल आवास, 800– अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16–लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वर्ष 2013–14 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यो पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.–4 / 2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रकियाओं तथा सुस्थापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमाक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

sd.

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नाकितं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–III, जयपुर ।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड–III, जयपुर ।
6. संबंधित आवासी ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव (क)